डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

गोविन्दलाल पुत्र गजाधर जाति ब्राहम्ण निवासी खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली ———————————————————— वादी

बनाम

1. बैजनाथ पुत्र इन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी खेडा तहसील हिण्डौन –मृतक
1/1. दुलारी पुत्री बैजनाथ जाति ब्राहम्ण निवासी खेडा तहसील हिण्डौन
2. गजाधर पुत्र दामोदर जाति ब्राहम्ण निवासी खेडा तहसील हिण्डौन– मृतक
2/1. कुंजविहारी पुत्र गजाधर जाति ब्राहम्ण निवासी खेडा तहसील हिण्डौन
2/2. औतारनारायण पुत्र गजाधर जाति ब्राहम्ण निवासी खेडा तहसील हिण्डौन
3. तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान ——— प्रतिवादीगण

दावा बाबत् इस्तकरार हक (इन्द्राज दुरूस्ती) मुकदमा नं0 03/2014

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री योगेन्द्र पाठक, श्री हरिबल्लभ चतुर्वेदी एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 769 रकबा 0.26 है0, 777 रकबा 0.75 है, 778 रकबा 0.45 है0 वाके ग्राम खेडा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा ग्राम खेडा की भूमि खसरा नम्बर 775 रकबा 0.74 है0 में से रकबा 0.30 है0, 776 रकबा 3.70 है0 में से रकबा 0.30 है0 , खसरा नम्बर 777, 778 के उत्तरी दिशा के लगमा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खसरा नम्बर 779 रकबा 0.33 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन का प्रतिवादीगण सं0 2/1 व 2/2 को बहिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पूर्व के समस्त इन्द्राज हजफ किये जाते हैं। तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व सीट में अमल दरामद किया जावे। निर्णय व डिकी की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12-3-2022 को यह फाईनल डिकी जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)